(69)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 364-तीन/2008 - विरूद्ध आदेश दिनांक 13-3-2008 - पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 1434/06-07 अपील

प्रसॉत कुमार गुप्ता पुत्र मिथिलाप्रसाद नावालिक
सरपरस्त मॉ श्रीमती स्नेहलता गुप्ता पत्नि
श्री मिथिलाप्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम अमरिती
मनगवां तहसील सिरमौर जिला रीवा मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1- मुनिन्द्रका प्रसाद गुप्ता 2- मिथलाप्रसाद
3- अमृतलाल 4- पुरूषोत्तम पुत्रगण रामकुमार गुप्ता
5- श्रीमती रामरती पत्नि स्व.रामकुमार गुप्ता
सभी ग्राम ग्राम अमरिती मनगवां
तहसील सिरमौर जिला रीवा ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 25.06 -2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 1434/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-3-08 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम अमिरिती स्थित आराजी क्रमांक 80/6 रकबा 0.12 एकड, 80/3 रकबा 0.01/1/2 एकड़ , 80/5 रकबा 0.4/1/2 एकड़ में रकबा 0.03 कुल किता 3 कुल रकबा 0.21 एकड के भूमिस्वामी रामकुमार थे, जिन्होंने अपने जीवनकाल में पुत्र के पुत्र अवयस्क आवेदक को आराजी नंबर 80/5 रकबा 0.12 एकड के अंश रकबा 12X93 वर्गफुट रजिस्टर्ड बसीयत दिनांक 23-1-06 से बसीयत किया था। रामकुमार की मृत्यु उपरांत नायव तहसीलदार उप तहसील गंगेव ने नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 8 पर आदेश दिनांक 10-4-06 से वारिसाना नामांत्रण कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी मनगवां के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी मनगवॉ/सिरमौर ने प्रकरण क्रमांक 73 अ-6/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-6-07 से नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त कर दिया तथा प्रकरण पक्षकारों को सुनकर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 1434/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-3-08 से अपील स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी मनगवॉ/सिरमौर का आदेश दिनांक 26-6-07 निरस्त कर दिया। अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 1434/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-3-08 के अवलोकन से परिलक्षित है कि जब अनुविभागीय अधिकारी मनगवॉ/ सिरमौर ने प्रकरण क्रमांक 73 अ-6/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-6-07 से नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण पक्षकारों को सुनकर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया, जब क्या प्रत्यावर्तन आदेश

(अंतरिम आदेश) के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील ग्राह्य योग्य एंव प्रचलनयोग्य है ? मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 सहपठित 50 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यावर्तन आदेश अंतिम स्वरूप का नहीं होता , अपितु अंतरिम स्वरूप का होता है जिसके विरूद्ध संहिता की धारा 50 में निगरानी पोषणीय है जबकि अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने प्रत्यावर्तन आदेश के विरूद्ध अपील सुनकर अनुविभागीय अधिकारी मनगवॉ/सिरमौर के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 26-6-07 को निरस्त करने में प्रकियात्मक त्रृटि की है । यदि अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 13-3-08 पर विचार किया जावे, अपर आयुक्त का आदेश सूक्ष्म प्रकृति का आदेश होकर speaking order के नहीं है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 13-3-08 निरस्त किये जाने योग्य है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 26-6-2007 के कम में दोनों पक्षों को तहसील न्यायालय में लेखी एंव मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करके अपना अपना दावा प्रमाणित करने का अवसर प्राप्त है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा पारित आदेश दिनांक 13-3-08 निरस्त किये जाने योग्य है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 1434/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-3-08 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी मनगवॉ/सिरमौर व्दारा प्रकरण कमांक 73 अ-6/06-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-6-07 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर